भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1693

10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-एमएसपी और कृषि सुधार

1693. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रिकार्ड कृषि उत्पादन के बावजूद किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुधारों और आय सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 2026 के लिए निर्धारित पीएम-किसान किस्तों की स्थिति का ब्यौरा क्या है और इसमें विलंब होने की सूचना क्या है;

(ग) क्या जलवायु-अनुकूल कृषि और डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने पहाड़ी और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों और बागवानी पर सर्दियों के प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रभाव का आकलन किया है;

(ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद, फसल बीमा दावों, किसान पहुंचान पत्र के कार्यान्वयन और मूल्य स्थिरीकरण उपायों के संबंध में राज्य-वार आंकड़े क्या हैं; और

(च) नए कृषि सुधारों को लागू करने की समय-सीमा क्या है और वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम निष्पादन समीक्षा रिपोर्ट कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रत्येक वर्ष, सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ वृद्धि की है जिससे देश भर के किसान लाभान्वित हुए हैं।

सरकार की मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उनकी उपज की खरीद की पेशकश करके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। एमएसपी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एमएसपी की घोषणा के पश्चात, सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। जब दलहन, तिलहन और कोपरा का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है, तब संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से इन उत्पादों की खरीद, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समग्र योजना के अंतर्गत की जाती है। पीएम-आशा योजना के तहत खरीद एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ

लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं। सरकार द्वारा कपास और पटसन की खरीद भी क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान किसानों को दी गई अखिल भारतीय एमएसपी राशि के निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है कि बढ़ी हुई एमएसपी से देश के किसान लाभान्वित हुए हैं।

सभी फसल	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
कुल एमएसपीमूल्य **(लाख करोड़ में)**	2.47	2.63	3.47

किसानों को लभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार, कृषि एवं बागवानी वस्तुएं, जो जल्द खराब होती हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हैं, की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) लागू करती है। इस का उद्देश्य, बंपर फसल की स्थिति में सर्वाधिक आवक अवधि के दौरान जब कीमतें आर्थिक स्तरों और उत्पादन लागत से कम होने लगती हैं तब इन फसलों के उत्पादकों को मजबूरी में बिक्री करने से बचाना है।

घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2030-31 तक दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत पूर्व-पंजीकृत किसानों से उनकी पेशकश के अनुसार तुअर, उड़द और मसूर की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से की जाती है।

वर्ष 2024-25 सीजन से, सरकार ने किसानों के हित में बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत एक और घटक को शामिल किया है जिसके तहत उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों तक टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के परिवहन के लिए इन फसलों के भंडारण और परिवहन लागत का भुगतान केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य नामित एजेंसियों को की जाएगी।

(ख): वित्तीय वर्ष 2025-26 में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की दो किस्तें, अर्थात् पीएम-किसान की 20वीं और 21वीं किस्त, क्रमशः अगस्त 2025 और नवंबर 2025 में जारी की जा चुकी हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 की तिमाही (दिसंबर 2025 - मार्च 2026) के लिए पीएम-किसान की 22वीं किस्त निर्धारित समय पर जारी की जाएगी।

(ग) एवं (घ): आईसीएआर ने राज्य सरकारों के परामर्श से भारत के 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजनाएँ (डीएसीपी) तैयार की हैं ताकि सूखा (सीजन के प्रारंभिक, मध्य और अंतिम समय के दौरान होने वाला सूखा), बाढ़, बेमौसम वर्षा और भीषण मौसम की घटनाओं जैसे कि लू, कोल्ड वेव, फ्रोस्ट, ओलावृष्टि और चक्रवात आदि से निपटा जा सके। आईसीएआर ने सूखा अनुकूल फसल की किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों को भी विकसित किया है, जिन्हें कृषि विकास केंद्रों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य विभागों को अंतरित किया जा रहा है।

सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कई योजनाएं आरंभ की गई हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, जैसे ड्रिप सिंचाई तथा स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है। सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना रासायनिक उर्वरकों के युक्तिसंगत उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री फसल

बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने की स्थिति में फसल हानि/क्षति से ग्रस्त किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को अनुमोदन प्रदान की है। इस मिशन में कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का सृजन शामिल है, जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली, एक व्यापक सॉइल फर्टिलिटी और प्रोफाइल मैप और केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा देश में एक मजबूत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई अन्य आईटी पहलें।

(ड.): विगत तीन वर्षों के दौरान एमएसपी फसलों की अखिल भारतीय खरीद निमानुसार है:

सभी एमएसपी फसल	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
कुल खरीद (लाख मिट्रिक टन में)	1,118	1,089	1,223

वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के शुभारंभ से वर्ष 2024-25 तक लाभान्वित किसानों और भुगतान किए गए दावों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(च): भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए निम्नलिखित एकीकृत कार्यनीति निर्धारित की है:

(i) फसल उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना
(ii) उत्पादन लागत कम करना
(iii) किसानों के आय में वृद्धि करने हेतु उपज का लाभकारी प्रतिलाभ सुनिश्चित करना
(iv) कृषि विविधीकरण
(v) फसलोपरांत मूल्यवर्धन विकसित करना
(vi) सतत कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन और फसल हानि को कम करना

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस), प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) और अन्य ऐसी योजनाएं शामिल हैं। इस संबंध में सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को 2013-14 के दौरान 21,933.50 करोड़ रुपये बीई को बढ़ाकर 2025-26 के दौरान 1,27,290.16 करोड़ रुपये बीई कर दिया है।

अनुबंध

वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के शुभारंभ सेवर्ष 2024-25 तक लाभान्वित किसानों और भुगतान किए गए दावों का राज्यवार विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भुगतान किए गए दावे (रुपयेकरोड़)	लाभान्वित आवेदक किसान (लाख में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.3	0.0
आंध्र प्रदेश	5,580.5	60.3
असम	736.6	10.9
बिहार	811.1	4.7
छत्तीसगढ	7,655.1	111.9
गोवा	0.1	0.0
गुजरात	5,751.2	29.4
हरियाणा	9,015.2	82.8
हिमाचल प्रदेश	609.4	11.4
जम्मू एवं कश्मीर	157.3	2.7
झारखंड	857.3	8.7
कर्नाटक	18,654.5	131.7
केरल	743.5	5.8
मध्य प्रदेश	31,737.1	304.8
महाराष्ट्र	45,449.2	624.1
मणिपुर	10.5	0.3
मेघालय	24.5	0.3
ओडिशा	7,183.9	113.3
पुदुचेरी	21.2	0.5
राजस्थान	31,554.5	502.5
सिक्किम	0.2	0.0
तमिलनाडु	15,575.5	181.6
तेलंगाना	1,906.4	12.2
त्रिपुरा	12.3	1.3
उत्तर प्रदेश	5,805.2	91.6
उत्तराखंड	1,362.0	10.7
पश्चिम बंगाल	1,262.8	19.1
कुल योग	**1,92,477.3**	**2,322.7**

****